M. Com. IInd Semester

Subject - Insurance (बीमा)

Paper - IV (C)

lecture By :

Dr. Rajesh Kesari
Associate Professor
(Ex. HOD & Dean)
Commerce faculty
Nehru Gram Bharati
(Deemed to be)
University, Prayagraj.

Topic - समुद्री बीमा और जीवन बीमा में अन्तर
(Difference between Marine Insurance and Life Insurance)

समुद्री बीमा और जीवन बीमा संविदाओं में अन्तर

समुद्री बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा है। अतः यह संविदा जीवन बीमा संविदा से अनेक दृष्टिकोणों से भिन्न है। हम अध्याय 2 में जीवन संविदाओं और क्षतिपूर्ति संविदाओं का अन्तर स्पष्ट कर चुके हैं, वही समस्त अन्तर इन दोनों संविदाओं में भी दृष्टिगोचर होते है।

समुद्री बीमा और जीवन बीमा में मुख्य रूप से निम्नलिखित अन्तर हैं :

(1) **बीमायोग्य हित**—जीवन बीमा में बीमा कराते समय बीमायोग्य हित

मौजूद रहना आवश्यक है। बीमा करा चुकने पर यह बीमापत्र किसी को भी अन्तरित या अभ्यर्पित किया जा सकता है, क्योंकि जीवन बीमापत्र पर दावा करने वाले का बीमायोग्य हित मौजूद रहना आवश्यक नहीं है।

समुद्री बीमा में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। इसमें बीमा कराते समय बीमायोग्य हित मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति समुद्री बीमा करा सकता है और बीमापत्र को किसी को भी अभ्यर्पित कर सकता है। किन्तु दावा वही कर सकता है जो अपना बीमायोग्य हित प्रमाणित कर सके।

(2) **बीमित राशि**—जीवन बीमा कोई व्यक्ति अपने जीवन पर सामर्थ्यानुसार किसी भी रकम का करा सकता है, इसमें बीमित रकम की कोई सीमा नहीं है। इसमें अधि-बीमा या अल्प-बीमा का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसमें बीमा संस्था पूरी बीमित रकम देने की जिम्मेदारी ग्रहण करती है।

किन्तु समुद्री बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा है। इसमें बीमादाता जोखिम घटित होने पर बीमित रकम देने की जिम्मेदारी नहीं लेता वरन् केवल क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है। इसमें अधि-बीमा (over-insurance) कराने से कोई लाभ नहीं क्योंकि बीमादार क्षतिपूर्ति से अधिक रकम नहीं प्राप्त कर सकता और यदि उसने अल्प-बीमा (under-insurance) कराया हो तब जितनी रकम का बीमा नहीं कराया गया हो उतनी रकम के लिए बीमादार स्वयं अपना बीमादाता माना जायेगा और हानियों को उस अनुपात में उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि एक लाख रुपये के माल का बीमा केवल 50 हजार रुपये का कराया गया हो, तब यह आधा बीमा ही हुआ। यदि 20 हजार रुपये की हानि हुई तब केवल 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति बीमादाता से प्राप्त हो सकेगी, शेष 10 हजार की हानि बीमादार को सहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार समुद्री बीमा में अधि-बीमा और अल्प-बीमा महत्वपूर्ण हैं।

(3) **जोखिमों की प्रकृति**—जीवन बीमा में बीमित जोखिम (मृत्यु होना या अवधि पूर्ण होना) संविदा-काल में घटित होना निश्चित है। समुद्री बीमा में बीमित जोखिम द्वारा क्षति का होना अनिश्चित है क्योंकि बीमा अवधि में हानि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।

(4) **जोखिमों का वर्गीकरण**—जीवन बीमा में जोखिमों का वर्गीकरण सरल है। मृत्यु-संख्यक तालिकाओं की सहायता से विभिन्न आयु-वर्ग की मृत्यु-दर अनुमानित की जाती है और स्वास्थ्य, पेशे, आदि के संकटों को आंकते हुए प्रीमियम-दर अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक ज्ञात की जा सकती है।

समुद्री बीमा में जोखिमों की इतनी बहुलता और विविधता है और बीमित विषय की प्रकृति में इतनी विभिन्नताएँ हैं कि इसमें प्रत्येक बीमा प्रस्ताव के जोखिमों को भलीभांति आंकना पड़ता है। यही कारण है कि समुद्री बीमा में प्रीमियम-दर निर्धारित करने की विधि जीवन बीमा की भांति सरल नहीं है।

(5) **बीमा की अवधि**—जीवन बीमा की संविदा दीर्घकालीन होती है। समुद्री बीमा की संविदा अल्पकालिक होती है—या तो यात्रा-विशेष के लिए होती है या एक निश्चित अवधि के लिए, और यह अवधि एक वर्ष से अधिक हो ही नहीं सकती।

(6) **विनियोग का तत्व**—जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व विद्यमान हैं। इसी कारण, जीवन बीमापत्रों पर समर्पण-मूल्य (Surrender Value) संचित होता जाता है। बीमादार चाहे तो संविदा समाप्त करके यह समर्पण मूल्य प्राप्त कर सकता है।

समुद्री बीमा में केवल सुरक्षा का ही तत्व है, विनियोग का तत्व नहीं है। अतः समुद्री बीमापत्र का कोई समर्पण मूल्य नहीं होता।